प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

डेढ़ साल से फरार चल रहा 20,000/- रू0 का इनामिया अवैध तमन्चा सहित गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.12.2020 को थाना महमूदाबाद पुलिस टीम द्वारा जून 2019 से मु0अ0सं0 252/09 धारा 376/363/366 भा.द.वि. से सम्बन्धित मा0 न्यायालय में प्रचलित वाद में फरार चल रहे 20,000/- रू0 के इनामिया राम सिंह पुत्र सुन्दर लाल पासी निवासी ग्राम शेखपुर बिलौली थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गयी है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त उक्त प्रचलित वाद में जून 2019 से विचारण के दौरान अनुपस्थित चल रहा था। जिस हेतु न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम सम्मन, फिर वारण्ट(NBW) तत्पश्चात कुर्की की नोटिस देने के बावजूद हाजिर व गिरफ्तार न होने के फलस्वरूप मा0 न्यायालय के आदेश पर स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 02.12.2020 को उसकी चल-अचल दोनो सम्पत्ति कुर्क की गयी थी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु 20,000/- रू0 का इनाम घोषित किया गया था। अवैध तमन्चे की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 449/20 धारा 25(1)बी आर्म्स एक्ट थाना महमूदाबाद सीतापुर पंजीकृत कर अभियुक्त रामसिंह उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 449/20 धारा 25(1)बी आर्म्स एक्ट थाना महमूदाबाद सीतापुर

अभियुक्त का नाम व पता-

- अभियुक्त राम सिंह पुत्र सुन्दरलाल पासी नि0 शेखपुर बिलौली थाना महमूदाबाद सीतापुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम–1. उ0नि0 श्री प्रवीण तिवारी 2. का0 विक्की सागर 3. का0 परवेज खान